न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– कमर चौधरी,
आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 100/2018

विनोद कुमार पुत्र बनवारी लाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी 58, वासुदेव नगर, दौसा जिला दौसा राज. निदेशक, शिक्षा संचालन एवं चिकित्सा प्रसार समिति, दौसा

.. अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लवाण

...रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश/निर्णय अधीनस्थ तहसीलदार लवाण मिसल नंबर 30/2017 निर्णय दिनांक 15.11.2017 उनवानी सरकार बनाम विनोद

उपस्थित : 1. श्री सुनील कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय — दिनांकः 28.7.2023

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार लवाण जिला दौसा ने दिनाक 15.11.2017 को ग्राम बनियाना तहसील लवाण के आ0ख0 656 में से 0.02 है0 किस्म चरागाह भूमि पर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली एवं आरोपित शास्ति का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पो0 को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

अधिवक्ता अपीलांट पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आनन फानन में जांच टीम गठित कर बिना प्रार्थी को सीमाज्ञान के समय सूचना दिये बगैर जांच रिपोर्ट ली गई और आराजी खसरा नंबर 656 रकबा 0.02है. वाके ग्राम बनियाना पर पक्की दीवार सोलर प्लेट लगाकर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है जो निराधार है। अपीलांट ने अपनी शिक्षा संचालन हेतु भूमि कय करके उनका रूपांतरण करवाया गया तत्पश्चात सरकारी एजेन्सी से सीमाज्ञान करवाकर चिन्हित स्थान पर सोलर पावर प्लेट तथा दीवार लगवाई गई जो कि प्रार्थी की निजी खातेदारी भूमि पर स्थित है। अपीलांट द्वारा किसी भी सरकारी भूमि पर कोई निर्माण नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीमाज्ञान के कम में प्रार्थी को सूचना नहीं दी गई जबकि पूर्व में तहसीलदार द्वारा नियुक्त पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौके पर सीमाज्ञान करके प्रार्थी को संभलायी गयी थी। सरकारी एजेन्सी द्वारा जान बूझ करके पदीय सत्ता का दुरूपयोग करते हुए प्रार्थी को परेशान करने के उद्देश्य से उक्त कार्यवाही की गई है। जबकि पूर्व में जिला कलक्टर द्वारा उक्त शिक्षा समिति की भूमि का रूपांतरण किया गया है तथा पूर्व में तहसीलदार द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई है, जिसमें कोई चरागाह पर अतिकमण का उल्लेख नहीं किया गया है। अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपीलांट की ओर से इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया कि वर्तमान में उक्त भूमि पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लवाण द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.11.2017 को निरस्त फरमाया जावे।

जिला कलेक्टर,दौसा

.....निरन्तर 2 पर

राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अवगत कराया कि संबंधित भूमि तीन गांवों की सीमा पर स्थित होने के कारण पुनः सीमाज्ञान कराने हेतु निवेदन किया गया जिस पर दो भू अभिलेख निरीक्षकों व दो पटवारियों की संयुक्त टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाया गया है। जिस पर अपीलांट का अतिक्रमण पाया जाने पर तहसीलदार लवाण द्वारा निर्णय पारित कर अपीलांट को बेदखल करने एवं आरोपित शास्ति से दंडित किया गया है। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 की पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जॉच भू अभिलेख निरीक्षक से करवाई गई। भू अभिलेख निरीक्षक की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। तहसीलदार लवाण के द्वारा अपीलांट की मांग पर ग्राम बनियाना की आराजी खसरा नंबर 656 रकबा 3.90है. किस्म चरागाह पर अतिक्रमण की मौका एवं रिकार्ड की जांच हेतु दो भू अभिलेख निरीक्षक एवं दो पटवारियों की संयुक्त टीम का गठन किया जाकर रिपोर्ट ली गई जिसमें अपीलांट का अतिक्रमण पाया गया था। अब अपीलांट की ओर से शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का ग्राम बनियाना के चरागाह भूमि खसरा नंबर 656 पर कोई कब्जा नहीं है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपीलांट की ओर से खसरा नंबर 656 पर कोई कब्जा नहीं होने बाबत शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है। उभयपक्ष की बहस से यह जाहिर होता है कि प्रश्नगत भूमि तीन राजस्व ग्रामों की सीमा पर स्थित है जिसकी पुनः जांच करवाया जाना न्यायोचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। तहसीलदार लवाण द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.11.2017 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार लवाण को रिमांड कर निर्देश दिये जाते हैं कि प्रश्नगत भूमि का संबंधित ग्रामों के हल्का पटवारियान एवं भू अभिलेख निरीक्षक की नायब तहसीलदार के नेतृत्व में टीम गठित कर अपीलांट की मौजूदगी में सीमाज्ञान करवाकर विधिसम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 28 जुलाई 2023 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा